संख्या-951/चौदह-4-2018-17(बजट)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक, मई,2018

विषय: वित्तीय वर्ष-2018-19 में ''टोटल फारेस्ट कवर'' योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 948.83 लाख के सापेक्ष रू0 860.63 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-1242/36-बी-8(टो0फा0क0) दिनांक 26.05.2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित एवं निदेशों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत ''टोटल फारेस्ट कवर'' योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 948.83 लाख के सापेक्ष रू0 860.63 लाख (रू0 आठ करोड़ साठ लाख तिरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-60	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-	
01-वानिकी	
102-समाज तथा फार्म वानिकी	
08-टोटल फारेस्ट कवर योजना	
24-वृहत निर्माण कार्य	842.03
42-अन्य व्यय	18.60
योग	**860.63**

(रू0 आठ करोड़ साठ लाख तिरसठ हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से

2/-